एफ.आई.आर. फार्म नं. 24.5(1)
(सांख्यिक कालम अधार भरें)
पृष्ठ संख्या :

№ 162537

# FIRST INFORMATION REPORT

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(Under Section 154 Cr. P.C.)

(दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 154 के अन्तर्गत)

1.* District (जिला) गुड़गांव *P.S. (थाना) SVB *Year (वर्ष) 2015 F.I.R. No. (प्र.सू.रि.सं.) 49 *Date (दिनांक) 30/11/15

2. (i) *Act (अधिनियम) ____ *Sections (धारायें) ____

(ii) *Act (अधिनियम) I.P.C. *Sections (धारायें) 406/420/467/468/471

(iii) *Act (अधिनियम) ____ *Sections (धारायें) 120B IPC.

(iv) *Other Acts & Sections (अन्य अधिनियम एवं धारायें) ____

3. *(a) (क) *Occurrence of offence (घटना का) Day (दिन) जांच नं० 11 Date from (दिनांक से) 7-12-12 गुड़गांव पर दर्ज (दिनांक तक) ____ *Time Period (समय) ____ *Time from (समय से) ____ *Time to (समय तक) ____

*(b) (ख) Information received at P.S. (थाने पर प्राप्त सूचना की) *Date (दिनांक) 30-11-15 Time (समय) 2-45 Pm

*(c) (ग) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) Entry No. (प्रविष्टि संख्या) 8 Time (समय) 3-00 Pm

4. Type of information (सूचना का प्रकार) Massanger Written / Oral (लिखित / मौखिक) Written.

5. Place of Occurrence (घटना स्थल का स्थान) (a) (क) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा एवं दूरी) पूर्व ____ Beat No. (बीट नं.) लहागमा

(b) (ख) *Address (पता) ____

(c) (ग) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो, तब तक) ____

Name of P.S. (थाने का नाम) ____ District (जिला) ____

6. Complainant/Informant (शिकायतकर्ता / सूचना देने वाला) : हस्ब आमद तहरीर श्री रमेश चन्द S.I

(a) (क) Name (नाम) PS/SVB/GGN (b) (ख) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम) ____

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/वर्ष) मुताबिक जांच नं० 11 दिनांक 7-12-12 पर दर्ज (d) Nationality (राष्ट्रीयता) भारतीय

(e) Passport No. (पासपोर्ट नं.) ____

Date of Issue (जारी करने की तिथि) ____ Place of Issue (जारी करने का स्थान) ____

(f) Occupation (व्यवसाय) सरकारी नौकरी (g) (छ) Address (पता) PS/SVB/Gurgaon.

SEEN

Special Director
S.V.B. Gurgaon

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण) (attach separate sheet, if necessary) (यदि आवश्यक हो तो अलग पृष्ठ संलग्न करें)

1. रमेश चन्द्र प्रधान

2. गुलाबचन्द कोषाध्यक्ष Employees, Coop. Group Housing Society Ltd/SVB

3. सतबीर सिंह उप प्रधान सिटीजन सोसायटी गुड़गांव

इक सम्य रूक तहरीर हिन्दी हस्ताक्षरी श्री सुभाष चन्द S.I.
PS/SVB/गुड़गांव बदस्त सिo प्रवीन कुमार नo 323/PRD
थाना हजा मे प्राप्त हुई जिसका विवरण इस प्रकार से है,
सेवा मे, प्रबन्धक इन्सपेक्टर थाना राज्य चौकसी ब्यूरो गुड़गांव मण्डल
गुड़गांव श्री मान जी, निवेदन यह है कि जांच क्रमांक 11 दिनांक
7-12-2012 गुड़गांव मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चौकसी विभाग
चण्डीगढ़ कार्यालय के पत्र क्रमांक 65/34/2012-5-चौ0 (1) दिनांक
24-11-2012 की अनुपालना में दर्ज रजिस्टर की गई थी महानिदेशक
राज्य चौकसी ब्यूरो पंचकुला के कार्यालय के पृष्ठ क्रमांक 16746/
आई-2-/रा0-चौ0 ब्यूरो (ह0) दिनांक 10-12-2012 व पत्र क्रमांक 15966/आई-
2 दिनांक 26-11-2014 द्वारा पड़ताल हेतु राज्य चौकसी ब्यूरो गुड़गांव
मण्डल गुड़गांव में प्राप्त हुई थी जिसमें श्री बलबीर सिंह कादयान
मकान नo ई-3 एन0 आई0 टी0 कैम्प कुरुक्षेत्र की शिकायत के आधार
पर निम्न लिखित आरोपो की पड़ताल की जानी थी। कि शिकायतकर्ता
वर्ष 1998 से इक्त सोसायटी का मैम्बर है, इसको M/s Gurgaon
Citizen (Employees) Coop. Group Housing Society Ltd. मे फ्लैट
नo 104 दिनांक 08-02-2009 को अलाट हुआ था। इस सोसायटी का चुनाव
1999, 2004, 2009 मे होना था लेकिन डा0 रमेश चन्द बगैर चुनाव के स्वयं
सोसायटी का प्रधान बना हुआ है। चुनाव के सम्बन्ध में शिकायत कर्ता द्वारा
A.R.Cs, D.R.Cs Gurgaon और R.Cs एवं कमिश्नर सोसायटी को पत्राचार
भी किया था। पत्र नo 584 दिनांक 31-05-2012 के अनुसार आर0 टी0 आई0
से मिली जानकारी के मुताबिक वर्ष 2005 से आज तक कोई आडिट नही
करवाया और ना ही कोई चुनाव करवाया। आर0 टी0 आई0 में मांगी गई सूचना
समय पर ना देने पर S.P.I.O एवं A.R.Cs गुड़गांव पर 2000/- जुर्माना स्टेट
कमिशन द्वारा किया गया तथा आदेश क्रमांक 1783 के तहत S.P.I.O.

— — जारी — —.

Attachment to Item 7 of First Information Report
(प्रथम सूचना रिपोर्ट की मद संख्या 7 का संलग्नक)

Physical features deformities and other details of the suspect accused (If known seen)

Cum-Dy. Superintendent HUDA पर 5000/- जुर्माना किया गया।

आर.टी.आई. के मुताबिक मिली सूचना अनुसार A.R.C. कार्यालय गुड़गांव के पत्र क्रमांक 585 दिनांक 1-2-2010 सोसायटी के खाता नं० 7873 यूको बैंक गुड़गांव में दिनांक 31-12-2009 तक 11.38 करोड़ रुपये जमा थे। जबकि खाता में प्रति फ्लैट 28.80 लाख रू० के हिसाब से 14.40 करोड़ रुपये जमा होने चाहिये थे। जिसमें करीब 3 करोड़ रुपये का अन्तर है। डा० रमेश चन्द ने अपने व अपनी पत्नी अनिता राज के नाम 2 फ्लैट 901 व 701 पहले ही निकाल लिये मालूम हुए तथा डी.एच.बी.पी.एल कार्यालय के पत्र क्रमांक 764 दिनांक 31-03-2011 के अनुसार सोसायटी के खाता नं० 7873 (यूको बैंक) गुड़गांव में करीब 3-4 करोड़ रुपये का फ्रॉड हुआ है। फ्लैट के ड्रा में मुताबिक प्रक्रिया मुलिका फ्लैट नं० 901 शुदा डा० रमेश चन्द जिसमें उन्होंने अपना नाम दर्शाया हुआ है। मुताबिक आर० (A.R.) कार्यालय गुड़गांव से जारी शुदा पत्र क्रमांक 331 दिनांक 03-02-11 फ्लैट नं० 701 मुताबिक सूची उसकी पत्नी का नाम नहीं है। मुताबिक आर० टी० आई० पत्र 784 दिनांक 31-03-2011 के रमेश चन्द व उसकी पत्नी अब इस सोसायटी के सदस्य नहीं है। डा० रमेश चन्द ने शेयर सर्टीफिकेट पर अपने हस्ताक्षर बतौर सचिव व बतौर प्रधान किये हुए हैं। जब की यह दोनों पद अलग-अलग है लेकिन दो अलग-अलग व्यक्तियों के हस्ताक्षर होने चाहिये। उक्त आरोप की पड़ताल श्री उप निरीक्षक राज्य चौकसी ब्यूरो गुड़गांव द्वारा उप महानिरीक्षक, राज्य चौकसी ब्यूरो गुड़गांव मण्डल गुड़गांव की देख-रेख में पूर्ण की गई थी। पड़ताल के दौरान पाया गया था कि दी गुड़गांव इम्प्लाइज सिटिजन सोसायटी को हुडा के रिजर्व कोटे से ड्रा ऑफ लोट के माध्यम से सन् 1998 में 4000 गज का प्लाट अलाट

हुआ। जो यह सोसायटी रजिस्ट्रेशन नं० 1236 जी० दिनांक 24-08-1998 से रजिस्टर्ड थी। जो बलबीर सिंह कादयान पहले से ही इस समिति का सदस्य बना हुआ है तथा ठीक समय अनुसार अपने फ्लैट की रकम जमा कराता रहा है। रमेश चन्द प्रधान समिति ने बिल्डिंग का निर्माण कराना 2005 में शुरू किया जो नियमानुसार सभी मापदण्डों को पूरा करते हुए काम करना शुरू किया। मकान बनाने का ठेका समिति में बैठकर पास करके एम० एस० मिलेनियम इंजीनियर को कुटेशन के आधार पर सबसे कम कुटेशन होने के नाते 5,75,10,600/- रु० में दिया गया जो इसके बनाने में रमेशचन्द प्रधान ने बहुत अनियमितताएं की। दिनांक 18-03-2006 को रमेश चन्द प्रधान ने बलबीर कादयान को 17,50,000/- रू० का डिमाण्ड नोटिस जारी किया तथा कहा की ये पैसे जमा नहीं करेगा तो मैम्बरशिप कैन्सिल कर दी जायेगी व आपकी जमा राशी वापिस कर दी जायेगी। बलबीर सिंह कादयान अभी तक 2,28,000/- रुपये जमा कर चुके थे जोकि जमीन की कीमत लगभग उसके हिस्से की बनती थी। 17,00,000/- रुपये बलबीर सिंह ने डिमाण्ड नोटिस मिलने के बाद जमा करा दिये। इस तरह बलबीर सिंह ने कुल 19,28,000/- रुपये जमा कराये। सोसायटी के फ्लैटों का ड्रा दिनांक 08-02-2009 को हुआ जिसके फ्लैट नं० 64 बलबीर सिंह कादयान के नाम अलाट हुआ। यह सूचना बलबीर सिंह ने आर० सी० एस० कार्यालय के पत्र क्रमांक 585 दिनांक 01-02-2010 के अनुसार प्राप्त की। जब भी समिति में चुनाव कराये गये तो कोई भी आर० सी० एस० कार्यालय से निरीक्षक या सरकारी कर्मचारी बतौर प्रेजाईडिंग आफिसर चुनाव के

मौके पर जरूर हाजिर होना चाहिये लेकिन किसी भी चुनाव में कोई भी सरकारी कर्मचारी/अधिकारी मौके पर हाजिर नहीं रहा है जबकि सोसायटी के मनुवल के अनुसार चुनाव के समय हाजिर होना अति आवश्यक था। इसी तरह समिति की कार्यकारणी की बैठक में भी ए० आर० सी० कार्यालय का एक आदमी होना अति आवश्यक होता है जो कि यह सोसायटी का कानुन है। इस तरह इन अवसरों पर सरकारी कर्मचारी का हाजिर ना होना भी सोसायटी की लापरवाही को जा सकती है या रमेश चन्द प्रधान की मन मानी बगैर सोसायटी के नोटिस के ही चुनाव व बैठक करके स्वयं मनमाने तरीके से फैसले कर लेना। इसके अलावा हर वर्ष सोसायटी के रिकार्ड का ऑडिट भी नियमानुसार होता है। जो यह आडिट बिलकुल नहीं कराया गया। सिर्फ सन 2004 से 2012 तक एक ही ऑडिट कराया है। इसमें कोई भी रिकार्ड, दस्तावेज या प्रमाण-पत्र पेश नहीं किये गये जिससे की किसी प्रकार का रिकार्ड की सच्चाई का पता लगाया जा सके। मन माने ढंग से बगैर रसीद व कमेटी के कर्मचारियों के हस्ताक्षर कराये। कई-कई गुणा ज्यादा बिल प्रस्तुत किये गये व लोगो को लूटा गया। यदि तत्कालीन ए० आर० सी० सत्यपाल दहिया इन्सपेक्टर कोपरेटिव सोसायटी गुड़गांव राजपाल सिंह व अन्य सोसायटी सदस्यो ने यदि समय अनुसार कि लेखे निर्माण व रिकार्ड का निरीक्षण किया होता जो कि नियम के अनुसार बहुत जरूरी है तो ये सारी कमियां जैसे - पति-पत्नी दोनों का समिति सदस्य बनाना झूठे हस्ताक्षर, ओवर राईटिंग, अपनी मर्जी

से किसी भी सदस्य की सदस्यता रद्द करना व झूठे बिल प्रस्तुत करके समिति सदस्य को लूट से बचाया जा सकता था। इस लिए लगभग 5 करोड़ की अवैध कमाई करने की एवज में रमेश चन्द प्रधान गुड़गांव सिटीजन सोसायटी, गुलाब चन्द कोषाध्यक्ष गुड़गांव सिटीजन सोसायटी व सतबीर सिंह उपप्रधान गुड़गांव सिटीजन सोसायटी के विरुद्ध धारा 406/420/467/468/471/120B IPC के तहत मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश की गई थी इसके अतिरिक्त सहकारी समितियां गुड़गांव के एस० आर० यशपाल बाकि व तत्कालीन निरीक्षक राजपाल सहकारी समितियां गुड़गांव के विरुद्ध अपनी सरकारी ड्यूटी के दौरान लापरवाही करने व गैरजिम्मेदाराना कार्य के लिए इनके विरुद्ध सिविल सर्विस रूल की धारा 7 के तहत विभागीय कार्यवाही करने की सिफारिश की गई थी। इसके अतिरिक्त अन्य किसी कर्मचारी/अधिकारी व प्राईवेट व्यक्ति की संलिप्तता पाई जावे तो उसे भी दौराने तफ्तीश देख लिया जाने का सुझाव दिया जाता है। इसके अतिरिक्त एस० आर० सहकारी समितियां गुड़गांव के कार्यालय के किसी कर्मचारी/अधिकारी की संलिप्तता पाई जावे तो उसे भी दौराने तफ्तीश देख लिया जाने का सुझाव दिया गया था तथा यह भी सुझाव दिया गया था कि तफ्तीश के दौरान इस सोसायटी का आडिट/असैसमेन्ट करा ली जावे, ताकि राशी का सही आंकलन किया जा सके और

आडिट। आसेस्मैन्ट के उपरान्त जितनी राशी का गबन।गबन पाया जावे वह राशी द्वारा रमेश प्रधान उपरोक्त से मय पैनल के ब्याज के वसूल की जावे। जांच की पड़ताल पूर्ण होने उपरान्त अन्तिम रिपोर्ट तैयार करके रमेश चन्द प्रधान गुड़गांव सिटीजन सोसायटी, गुलाब चन्द कोषाध्यक्ष गुड़गांव व सतबीर सिंह उप-प्रधान गुड़गांव सिटीजन सोसायटी के विरुद्ध धारा 406/420/467/471/120B IPC के तहत मुकदमा दर्ज करने का सुझाव दिया गया था जो अब मुख्य सचिव हरियाणा सरकार-चौकसी विभाग के पत्र क्रमांक 65/34/12-5 चौ०-I दिनांक 6-11-2015 व महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो हरियाणा पंचकुला के कार्यालय के पृष्ठ क्रमांक 16527/अ०नि०-2/रा०-चौ० ब्यूरो दिनांक 13-11-2015 के अनुसार रमेश चन्द प्रधान गुड़गांव सिटीजन सोसायटी, गुलाब चन्द कोषाध्यक्ष गुड़गांव व सतबीर सिंह उप प्रधान गुड़गांव सिटीजन सोसायटी के विरुद्ध धारा 406/420/467/468/471/120B IPC के तहत मुकदमा दर्ज करने के आदेश प्राप्त हुए हैं। जो पुलिस अधीक्षक राज्य चौकसी ब्यूरो गुड़गांव मण्डल गुड़गांव के आदेशानुसार मन उप निरीक्षक द्वारा मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीर तैयार करने व श्री नरेश कुमार, उप पुलिस अधीक्षक राज्य चौकसी ब्यूरो गुड़गांव को तफ्तीश करने के लिए मिसल सौंपी जाने के आदेश प्राप्त होने उपरान्त तहरीर हजा तैयार करके बराये कायमी मुकदमा बदस्त सिपाही प्रवीन कुमार नं० 323/RBD थाना अरसाल है। — — —

मुकदमा दर्ज करके स्पेशल रिपोर्ट ईलाका मजिस्ट्रेट व अफसरान बाला की सेवा में भिजवाई जावे आमदा रिकार्ड साथ संलग्न है।
हस्ता: हिन्दी [illegible]

कुमार नं० 323/FBD थाना आर सल्ल है। — — —

मुकदमा दर्ज करके स्पेशल रिपोर्ट ईलाका मजिस्ट्रेट व अफसरान-
बाला की सेवा मे भिजवाई जावे आमदा रिकार्ड साथ संलग्न है।
दस्तखत: हिन्दी सुभाष चन्द, उप निरीक्षक राज्य चौकसी ब्यूरो गुड़गांव दिनांक
30-11-2015. कार्यवाही थाना :- आमदा तहरीर पर मुकदमा हजा बाला उन्वान मजकूर
दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट की पांच प्रतियां बजरिये
मार्फत एक ही समय मे चाक की गई जो सेवा मे अफसरान बाला भेजी
जायगी। एक प्रति FIR बतौर स्पेशल रिपोर्ट बजरिया डाक ड्यूटी
मजिस्ट्रेट साहब गुड़गांव भेजी जायगी। आगामी तफतीश हेतु असल
तहरीर मय प्रति FIR अस. रिपोर्ट DSP/SVB/66 श्री नरेश कुमार को
भेजी जा रही है।

13. Action taken (की गई कार्यवाही) : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2 (चूंकि उपरोक्त सूचना से मद सं. 2 पर उल्लिखित धाराओं के अन्तर्गत अपराध होने का पता चलता है) :

1. Registered the case and took up the investigation or (मामला पंजीकृत किया और जाँच आरम्भ की गई या)
2. Directed Sh./Smt./Km. (Name of I.O.) श्री नरेश कुमार Rank (पद) No. (नं०) DSP/SVB/66 to take up the investigation or (को जाँच आरम्भ करने के निर्देश दिये गए या)
3. Refused investigation due to (किन कारणों से जाँच करने से इनकार किया गया) ____________ Or (या) ____________
4. Transferred to P.S. (थाना) ____________ District (जिला) ____________ on point of jurisdiction

F.I.R. read over to the complainant/informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant, free of cost.

R.O.&A.C.

Signature of Officer incharge, Police Station

Name (नाम) Ramesh Kumar

Rank (पद) Insp No. (संख्या) 61/A

14. Signature/Thumb impression of the Complainant/Informant

15. Date and time of dispatch to the court (न्यायालय को भेजने की तिथि और समय) 30/11/2015 at 5-30 Pm